

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(11)नविवि/II/2021

जयपुर, दिनांक: 12 NOV 2021

आदेश

श्री विजय कुमार, तत्कालीन परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) विद्युत, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 89/2021 में पंजीबद्ध किये जाने पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.05.2021 के द्वारा निलम्बित किया गया था।

कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक: भ्र.नि. ब्यूरो/अशा/3/21/14005 दिनांक 02.11.2021 के द्वारा श्री विजय कुमार तत्कालीन परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) विद्युत, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के प्रकरण में अदम वकू झूठ के आधार पर अन्तिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) दिये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राज्य सरकार द्वारा श्री विजय कुमार तत्कालीन परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) विद्युत, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता है तथा इनकी निलम्बन अवधि को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल माने जाने एवं निलम्बन काल के बकाया वेतन भत्ते (पूर्व में दिये निर्वाह भत्ते को घटाकर) नियमानुसार भुगतान किये जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान किये जाते हैं।

श्री विजय कुमार तत्कालीन परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) विद्युत को समस्त बकाया वेतन भत्ते, वार्षिक वृद्धि आदि का भुगतान एवं सेवा पुस्तिका में समस्त इन्द्राज अद्यतन करने हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को प्राधिकृत किया जाता है।

श्री विजय कुमार अग्रिम आदेशों तक/पदस्थापन होने तक अपनी उपस्थिति शासन संयुक्त सचिव-III, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में देंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक:- भ्र.नि.ब्यूरो/अशा/3/21/14005 दिनांक 02.11.2021 के क्रम में।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. आयुक्त/सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
6. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. श्री विजय कुमार, तत्कालीन परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) विद्युत, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-तृतीय